राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/2019/834 दिनांक : 22/10/19

कार्यवाही विवरण

राजस्थान आवासन मण्डल की ''सम्पत्ति आवंटन समिति'' की बैठक दिनांक 18.10.2019 को सायं काल 03:00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुएः–

1.	श्री भास्कर ए.सावंत	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोडा	आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, जयपुर	सदस्य
3.	श्री नत्थू राम	अति0मु0 अभियंता–प्रथम, राज0आवा0मण्डल, जयपुर	सदस्य
4.	श्री सीताराम	अति0मु0अभि0–तृतीय, राज0आवा0मण्डल, जयपुर	सदस्य
5.	डॉ0 प्रभा व्यास	मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राज0आ0मं0, जयपुर	सदस्य, सचिव

बैठक में विशेष आमन्त्रित निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित हुए :–

1. श्री एस.एल.सेठी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. श्री आर.सी.जैन, उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, रा0आ0म0, जयपुर।
3. श्री सर्वजीत सिंह, उप आवासन आयुक्त, वृत–तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर।

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही
1	विगत दिनांक 25.09.2019 को आयोजित हुई सम्पत्ति आवंटन समिति में लिये गये निर्णयों की पुष्टि बाबत।	विगत सम्पत्ति. आवंटन समिति की बैठक दिनांक 25.09.2019 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	CEM
2	विगत दिनांक 25.09.2019 को आयोजित हुई सम्पत्ति आवंटन समिति में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट बाबत।	विगत सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 25.09.2019 के निर्णयों की क्रियान्विति शीघ्र करवाई जावें।	CEM
3	सेंट एंडमण्ड्स एज्यूकेश्न सोसायटी, जयपुर, सेक्टर–3, इंदिरा गांधी नगर, जयपुर में प्राथमिक विद्यालय हेतु 1984 व.मी. एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु लगभग 2707 कुल 4691 व.मी. भूमि आवंटन बाबत।	समिति के समक्ष उप आवासन आयुक्त वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त डेफर करने का निर्णय लिया गया। आवेदक द्वारा 4000 व.मी. भूमि एक साथ लगते हुए ही आवंटित करने बाबत आज ही प्रार्थना पत्र दिया हैं। उसका परीक्षण ए.सी.टी.पी. करके प्रस्ताव एक सप्ताह में पेश करें।	DHC-III, Jaipur
4	कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर को मानसरोवर आवासीय योजना में स्कूल/कॉलेज/खेलकूद अकादमी/स्किल डवलपमेंट प्रयोजनार्थ 4000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन बाबत।	समिति के . समक्ष उप आवासन आयुक्त वृत्त–द्वितीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट को स्कूल/कॉलेज/खेलकूद अकादमी/स्किल डवलपमेंट प्रयोजनार्थ मानसरोवर योजना मे प्रस्तावित भूखण्ड मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि खसरा नं. 86, 87 (पुराना) ग्राम सुखालपुरा तहसील सांगानेर जयपुर कुल रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा के अन्तर्गत आता है। उक्त भूखण्ड के परियोजना समिति की बैठक दिनांक 25.09.19 में किऐ गऐ	DHC-II, Jaipur

		अनुमोदन उपरान्त भूखण्ड का आवंटन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन याचिका संख्या डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 9497/2007 पी.एन. मेडोला बनाम राज्य सरकार व अन्य पारित अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा तथा भूखण्डधारी/आवंटी को इस आशय का आवश्यक क्षतिपूर्ती बंधक पत्र मण्डल के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट को उक्त 3829.28 वर्ग मीटर भूमि वर्तमान संस्थानिक दर रूपये 23725 + 25 प्रतिशत ऊपरी व्यय, 3 प्रतिशत विविधा खर्च राशि, 5 प्रतिशत लीज राशि व अन्य के अतिरिक्त जयपुर नगर निगम, जयपुर को देय 15 प्रतिशत राशि पृथक से वसूल करते हुए आवंटन किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।	
5	नोबल नेशनल पब्लिक स्कूल समिति, जयपुर को मानसरोवर योजना जयपुर में उच्च शिक्षा प्रयोजनार्थ 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन के सम्बंध मे।	समिति के समक्ष उप आवासन आयुक्त वृत्त–द्वितीय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त नोबल नेशनल पब्लिक स्कूल समिति को संस्था उप नियमों में वर्णित उद्देश्यों–बालिका उच्च शिक्षा के प्रयोजनार्थ 2000 वर्ग मीटर भूमि उक्त भूमि की वर्तमान संस्थानिक दर रूपये 23,725 + 25 प्रतिशत ऊपरी व्यय, 3 प्रतिशत विविधा खर्च राशि, 5 प्रतिशत लीज राशि व अन्य देय राशियों के अतिरिक्त जयपुर नगर निगम, जयपुर को देय 15 प्रतिशत राशि पृथक से वसूल करते हुए आवंटन किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।	DHC-II, Jaipur

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक
सदस्य सचिव (पीएसी)

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता–(मु0)/प्रथम/द्वितीय/निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति0मु0अभि0–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, अति0 मुख्य नगर नियोजक, राज0आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम/द्वितीय/तृतीय,राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा।
8. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
9. सहायक निदेशक (जनसम्पर्क अधिकारी), राज0आ0मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक